संख्या 6005/9-1-17-331सा/17टी0सी0

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 07 दिसम्बर, 2017

विषयः नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में नवनिर्वाचित महापौरों एवं पार्षदों/अध्यक्षों एवं सभासदों द्वारा शपथ ग्रहण ।

महोदय,

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 के अधीन प्रदेश के नगर निगमों के पार्षदों तथा महापौरों तथा उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1916 के अधीन पार्षदों तथा महापौरों एवं सभासदों तथा अध्यक्षों के निर्वाचन की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात उनके यथावत संगठित हो जाने की जारी अधिसूचनाओं के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 नगर निगम अधिनिमय-1959 की धारा-85 में यह प्राविधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो पार्षद या महापौर निर्वाचित हो गया हो, अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व उल्लिखित धारा-85 में दिये गये प्रपत्र पर शपथ लेगा अथवा प्रतिज्ञान करेगा। यह भी प्राविधान है कि मण्डलायुक्त अथवा उनकी अनुपस्थिति में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट महापौर को शपथ दिलायेगें या प्रतिज्ञान करायेंगे और तत्पश्चात महापौर ऐसे पार्षदों को जो उपस्थित हो शपथ दिलायेंगे या प्रतिज्ञान करायेंगे।

2. उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-43 में यह प्राविधान है कि नगर पालिका का अध्यक्ष/सदस्य निर्वाचित हो जाने पर अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व उक्त उल्लिखित धारा में दिये गये प्रपत्र पर शपथ लेगा अथवा प्रतिज्ञान करेगा। यह भी प्राविधान है कि जिलाधिकारी अथवा उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट उप जिलाधिकारी द्वारा शपथ दिलायेगें या प्रतिज्ञान करायेगें।

3. अतएव श्री राज्यपाल यह निर्देश देते है कि समस्त नगर निगमों में नगर निगम अधिनियम की धारा-85 तथा समस्त नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों में नगर पालिका अधिनियम की धारा-43 के अनुसार शपथ ग्रहण की कार्यवाही दिनांक 12.12.2017 को सम्पन्न कराते हुए कृत कार्यवाही की सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4. उपर्युक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Manoj 7.12.17
(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

G.0.V

संख्या एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त नगर आयुक्त उ0प्र0।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा जिलाधिकारी।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बृजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव

G.0.V